

गोरेगांव : तहसील में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। यहां चुलबंध डैम, जांभुलपानी तालाब, कटंगी डैम, कलपाथरी डैम, पांगडी-धानुटोला तालाब, पोंगेझरा गेट तथा नागझिरा मुरदोली प्रवेश द्वार जैसे पर्यटन स्थल हैं। जहां अनेक पर्यटक आया करते हैं। छुड़ियों के दौरान पांगडी धानुटोला, मुरदोली चुलबंध डैम व कटंगी डैम जैसी जगहों पर बड़ी तादाद में अपने परिवार के साथ पर्यटक दिखाई देते हैं। जिसमें अन्य जिलों के पर्यटक भी शामिल हैं। जिस कारण यहां ग्रामीणों को छोटा मोटा रोजगार प्राप्त हो रहा है।

संक्षिप्त

इलाज के अभाव में महिला की मौत

गोंदिया : समय पर इलाज नहीं मिलने से एक महिला की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाकर शासकीय अस्पताल के संबंधित चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी अनुसार मुरपार (रावणवाड़ी) निवासी मंजू जनमजय डोंगरे (60) मुरपार के साव्हेट प्लांट से काम से अपने घर जा रही थी कि इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दिया। घायल महिला को शासकीय अस्पताल गोंदिया में इलाज के लिए 26 अगस्त को ले जाया गया। लेकिन घायल मंजू डोंगरे का इलाज करने कोई चिकित्सक नहीं होने से उसकी मौत हो गई। एक घंटे तक घायल मंजू तड़पती रही और परिजन अस्पताल में चिकित्सक की खोज करते रहे लेकिन एक घंटे तक चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू नहीं किया। जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसा आरोप परिजनों ने लगाते हुए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से शासकीय अस्पताल गोंदिया के चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की है।

बीमारी से हुई मौत

गोंदिया : अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत बुटाई रिठी (प्रतापगड पहाड़ी) पर भविष्यिकी निवासी विजय तुलसीराम दुधकुरे (56) पुजारी का काम करता था। उसे कुछ दिनों से खांसी की बीमारी थी। इसी बीच प्रतापगड पहाड़ी मुख्य शिवमंदिर में उसका शव मिला। महागांव निवासी फर्यादी मनमिर्तेंद्रसिंग इंद्रपालसिंग पवार (43) की शिकायत पर अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। जांच हवलदार हर्ष कर रहे हैं।

सीढ़ियों से गिरकर युवक की मौत

गोंदिया-तिरोड़ा थाने के तहत नवेझरी निवासी राजेंद्र हरिदास इनवते (28) अपने काम पर सीढ़ियों से गिर गया। इस दौरान उसे गंभीर छोटे आई. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। फर्यादी विलास प्रभुदास इनवते (43) की शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। जांच सहायक फौजदार तिरपुडे कर रहे हैं।

कागजों तक ही सीमित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

आमगांव : बारिश के पानी को जमीन में जमा करने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की संकल्पना अमल में लाई गई है। नगर परिषद द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की संकल्पना पर अमल करना जरूरी है। लेकिन यह योजना सिर्फ कागजों पर ही शुरू की गई है। प्रत्यक्ष में यह योजना दिखाई नहीं दे रही है।

पुजारीटोला लबालब, इटियाडोह में भी ७३ प्रतिशत जलसंग्रह

अच्छी बारिश हुई तो ओवर फ्लो हो सकता है इटियाडोह

संवाददाता / गोंदिया

जिले की सारे राज्य में धान उत्पादक जिले के रूप में एक विशिष्ट पहचान है। इसका कारण यहां सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होना है। 1500 से अधिक मामा तालाबों के साथ ही जिले में सिंचाई के लिए अनेक मध्यम एवं बड़े प्रकल्प भी हैं।

जिससे प्रतिवर्ष खरीप एवं रबी मौसम में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इस वर्ष जून माह में बारिश नहीं होने से किसानों के साथ ही सरकार भी चिंता में थी कि अलनीनो के प्रभाव के चलते इस वर्ष यदि बारिश कम हुई तो सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। लेकिन



जुलाई माह से जिले में अच्छी बारिश की शुरुआत हुई, जो अब तक लगातार चल रही है और अपेक्षित औसत भी लगभग

पूर्ण होने की कगार पर है। बारिश के चलते जिले के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण भी तेजी से बढ़ा है। जिससे अब

इटियाडोह केवल प्रकल्प नहीं पर्यटन स्थल भी

अर्जुनी मोरगांव तहसील में स्थित इटियाडोह जलाशय जिले का सबसे बड़ा जलाशय है। इस जलाशय से गोंदिया के साथ ही भंडारा एवं गडचिरोली जिले के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस जलाशय में गेट नहीं हैं। बल्कि शत-प्रतिशत जल भंडारण होने पर यह जलाशय ओवर फ्लो होता है। इटियाडोह केवल सिंचाई प्रकल्प ही नहीं बल्कि जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहां जलाशय ओवर फ्लो होने का पर्यटक इंतजार करते रहते हैं। ऐसे भी यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ओवर फ्लो की स्थिति में प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए दूर दराज से भी हजारों पर्यटक यहां आते हैं। इस वर्ष शुरुआत में बारिश की स्थिति को देखते हुए इस जलाशय के ओवर फ्लो होने की उम्मीद नहीं के बराबर थी, लेकिन अच्छी बारिश से अब यह 73 प्रतिशत से अधिक भर गया है। यदि अगले आठ-दस दिनों तक जिले में अच्छी बारिश हुई तो इस वर्ष भी इटियाडोह ओवर फ्लो का नजारा देखने को मिल सकता है।

तिरखेडी में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

संवाददाता / गोंदिया

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहें के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरखेडी में मेरा गांव स्वास्थ्य संपन्न गांव इस अभियान के अंतर्गत 25 अगस्त को ज्येष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, योग व जीवनशैली मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहें के चिकित्सा अधिकारी डॉ. भगवतप्रसाद बारई की अभिनव संकल्पना से तिरखेडी में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर, योग, मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवनशैली व आहार



मार्गदर्शन शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच व पदाधिकारी उपस्थित थे।

शिविर के अवसर पर ज्येष्ठ नागरिकों का रक्तचाप, रक्त में शर्करा और वजन व बीएमआई

जांच के साथ नियमित योगाभ्यास, मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में मार्गदर्शन किया गया।

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जांच

शिविर के अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. भगवतप्रसाद बारई, स्वास्थ्य सेविका प्रीति गेडाम, आशा सेविका अनिता पटले, आशा सेविका ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

ज्येष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, उन्हें योग व व्यायाम की आदत लगे, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा हो तथा उचित आहार व जीवनशैली अपनाई जा सके, इस उद्देश्य से आयोजित इस शिविर को ज्येष्ठ नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला।

बजरंग चौक हनुमान मंदिर समिति की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक संपन्न

संवाददाता / तिरोड़ा

बजरंग चौक स्थित हनुमान मंदिर समिति की ओर से सोमवार, 24 अगस्त 2026 को मंदिर परिसर में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान शिव का विधिवत पूजन-अर्चन एवं रुद्राभिषेक किया।

कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी होकर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा।

हनुमान मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए। सामूहिक रुद्राभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की



व्यवस्था की गई। समिति की ओर से बताया गया कि धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में मंदिर समिति के पदाधिकारी, सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

परिजनों ने लगाया समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप

घायल महिला एक घंटे तक अस्पताल में तड़पती रही

संवाददाता / गोंदिया

सड़क दुर्घटना में घायल एक महिला की शासकीय अस्पताल में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजनों का कहना है कि घायल महिला करीब एक घंटे तक अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन उसका उपचार शुरू नहीं किया गया। इस मामले में उन्होंने संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरपार (रावणवाड़ी) निवासी मंजू जनमजय डोंगरे (60) मुरपार स्थित साव्हेट प्लांट से काम खत्म



कर अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मंजू डोंगरे गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन घायल मंजू डोंगरे को 26 अगस्त को उपचार के लिए गोंदिया स्थित शासकीय केटीएस

अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी काफी समय तक घायल महिला का उपचार शुरू नहीं किया गया। महिला लाश एक घंटे तक अस्पताल में तड़पती रही, जबकि परिजन चिकित्सक की तलाश में

इधर-उधर भटकते रहे। परिजनों के अनुसार समय पर चिकित्सकीय उपचार नहीं मिलने के कारण मंजू डोंगरे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में रोष व्याप्त है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी चिकित्सक अथवा संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि भविष्य में किसी भी गंभीर मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन आवश्यक कदम उठाए।

शांति-भाईचारे का संदेश देती है ईद : राजेंद्र जैन



संवाददाता / गोंदिया

जन्मे ईद-ए-मिलाद के अवसर पर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। राकांपा की ओर से रेलटोली स्थित राकांपा भवन के सामने जुलूस के प्रमुख ईशान शेख का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद राजेंद्र जैन ने मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद-ए-मिलाद की मुबारकबाद दी।

सांसद राजेंद्र जैन ने कहा कि ईद-ए-मिलाद का पर्व प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश देता है। समाज में आपसी सौहार्द और एकता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी।

इस अवसर पर सांसद राजेंद्र जैन के साथ विनोद हरिणखेड़े, राजू एन. जैन, केतन तुरकर, नानु मुदलियार, अशोक सहारे, भगत ठकरानी, दिनेश अग्रवाल, सतीश देशमुख, राज शुक्ला, लोकेश यादव, अनुज जायसवाल, संजीव राय, नागो बंसोड़, अमित भालेराव, मोहन पटले, विनीत शहारे, खलील पठान, हरनक्ष गुरनानी, पाशा शेख, इरफान शेख, बंटी चौबे, लिकेश विखलेंडे, सुनील पटले, पंकज मिश्रा, विक्रान्त मिश्रा, सचिन अवस्थी, संजीव बापट, तुषार उके, क्षितिज जांगडे, डुलीचंद मेश्राम, सौरभ जायसवाल, चिराग बावनथडे उपस्थित थे।

प्राणी क्लेश निवारण समिति की बैठक में आवारा पशुओं व अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश - अभिजित घोरपड़े

संवाददाता / गोंदिया

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत गोवंश हत्या प्रतिबंध के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन और पशु कल्याण के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए जिला प्राणी क्लेश निवारण समिति की बैठक आज अपर जिलाधिकारी अभिजित घोरपड़े की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई।

बैठक में पशुसंवर्धन जिला उपायुक्त डॉ. जालिंदर तिटमे,



सहायक आयुक्त डॉ. संजय गायगवकी, पुलिस निरीक्षक आर. के. सिंगनजुडे, सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के

मुख्याधिकारी तथा विभिन्न गौशालाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर घोरपड़े ने

?निमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया के मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र (Animal Birth Control Unit) स्थापित करने के निर्देश दिए। शहरों में बढ़े हुए आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ रहा है, इसलिए उनका नियमानुसार बंदोबस्त करने के निर्देश उन्होंने दिए।

जिले में बढ़ रही कुत्ते के काटने की घटनाओं पर नियंत्रण

के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को प्रभावी उपाययोजना करनी चाहिए, साथ ही पशुओं के अवैध परिवहन पर पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। पकड़े गए पशुओं को अधिकृत अंनिमल शेल्टर हाऊस में रखने के निर्देश दिए गए।

प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्रों के निर्माण के लिए आवश्यक निधि प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही प्रत्येक पुलिस थाने के अनुसार दर्ज होने वाले अपराधों का वर्गीकरण, गौशालाओं की अद्यतन सूची, मासिक घटनाओं का रिकॉर्ड और जिला प्राणी क्लेश निवारण समिति पर अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति करने पर भी जोर दिया गया।

पशुसंवर्धन जिला उपायुक्त डॉ. जालिंदर तिटमे ने जिले में कार्यरत अधिकृत गौशालाओं की जानकारी देते हुए, हर पांच वर्ष में पशुगणना की जाती होने की जानकारी दी।

संपादकीय

कागजी उलझनों में पिंसता लाभार्थी

सरकार और शासन की ओर से आम जनता के कल्याण के लिए दर्जनों महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीब, शोषित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वांगीण उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजनाएं कागजों पर अत्यंत आकर्षक और जनकल्याणकारी प्रतीत होती हैं। लेकिन, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिन योजनाओं को लाभार्थियों के लिए सहारा बनना चाहिए था, वे आज प्रशासनिक लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं के कारण जरूरतमंदों के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए एक आम नागरिक और गरीब किसान को जिस तरह की प्रशासनिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है, उसने पूरी सरकारी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

योजनाओं का लाभ उठाने के मार्ग में प्रशासनिक बाधाओं की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई है। कागजों की अंतहीन पूर्ति, हर दो-तीन महीनों में ई-केवाईसी कराने की बाध्यता, पोर्टल का न चलना और तकनीकी कमियों के नाम पर दस्तावेजों को बार-बार खारिज किया जाना—यह सब आज आम लाभार्थी की नियति बन चुका है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए इन जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं को बार-बार पूरा करना किसी सजा से कम नहीं है। नतीजा यह होता है कि कतारों में खड़े-खड़े थककर, दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर और बिचौलियों के हाथों शोषित होकर वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने की उम्मीद ही छोड़ देता है।

इस पूरी प्रशासनिक अव्यवस्था का सबसे त्रासद पहलू यह है कि जिन वर्गों को इन योजनाओं की सबसे ज्यादा और तुरंत आवश्यकता है, वे आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। जब योजना का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो अरबों रुपये के बजटीय प्रावधानों का क्या औचित्य रह जाता है? यहाँ सीधा और यक्ष प्रश्न यही उठता है कि क्या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में हो रहा है या यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी और विज्ञापनों तक ही सीमित है? प्रशासनिक ढिलाई और जमीनी स्तर पर अधिकारियों की संवेदनहीनता के कारण सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ अपने लक्ष्य से भटक रही हैं।

शासन और उच्च प्रशासन को इस गंभीर मुद्दे की ओर तुरंत ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। यदि सरकार वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना चाहती है, तो योजनाओं की आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाओं को अत्यंत सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना होगा। ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं की समयावधि को व्यावहारिक बनाया जाए और बार-बार कागजात मांगने की प्रथा पर रोक लगे। इसके साथ ही, पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित कर उन लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए जिनकी वजह से पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जब तक योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु नहीं होगा, तब तक 'समग्र विकास' का दावा अधूरा ही रहेगा।

डाग स्कवॉड के लिए दो मंजिला इमारत 94 लाख की निधि की गई मंजूर

वर्धा: पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने पिछले कुछ दिनों में पुलिस दल के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई है. इसके माध्यम से अत्याधुनिक उपकरण, वाहन, सीसीटीवी कैमरे और इमारतों का निर्माण किया जा रहा है. पुलिस जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्वान दस्ते के लिए अलग इमारत का निर्माण किया जाएगा. इस दो मंजिला इमारत के लिए जिला नियोजन से 94 लाख रुपए की निधि पालकमंत्री ने उपलब्ध कराई है. इससे पुलिस दल के आधुनिकीकरण को और गति मिलेगी.

पुलिस जांच में श्वान दस्ते की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. श्वानों की देखभाल, भोजन, प्रशिक्षण तथा उनकी दैनिक गतिविधियों के लिए अलग इमारत आवश्यक है. पुलिस दल की ओर से पालकमंत्री तथा गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर से इसके लिए मांग की जा रही थी.

पुलिस के पास वर्तमान में पांच श्वान हैं. इसके अलावा बम खोजी एवं नाशक दस्ते के पास दो श्वान हैं. इस दस्ते के पास श्वानों के लिए अलग इमारत है. पुलिस दल के पांच श्वानों के लिए भी अलग इमारत की आवश्यकता थी. पुलिस दल के लिए फिलहाल पांच श्वान मंजूर हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या 8 तक बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नई इमारत का निर्माण इसी क्षमता के अनुसार किया जाएगा. इमारत में



प्रत्येक श्वान के लिए स्वतंत्र कमरा और पिंजरा होगा. कई बार वीआईपी बंदोबस्त के लिए अन्य जिलों से श्वान बुलाए जाते हैं. इन श्वानों के साथ आने वाले हैंडलर और अधिकारियों के रहने की व्यवस्था भी इस इमारत में की जाएगी.

पुलिस दल को अधिक गतिशील बनाने का प्रयास : भोयर

पालकमंत्री भोयर ने कहा कि गृह विभाग को अधिक गतिशील और आधुनिक बनाने पर शुरुआत से ही उनका जोर रहा है. इसी उद्देश्य से पिछले डेढ़-दो वर्षों में बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई गई है. पुलिस के लिए अत्याधुनिक वाहन, शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की प्रशासनिक इमारतें और आवासों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

संवाददाता । नागपुर
गोधनी ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जलशुद्धीकरण केंद्र में क्लोरीन गैस रिसाव प्रकरण में प्रभावित मरीजों के इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार की ओर से वहन किया जाएगा. गैस रिसाव के बाद विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के उपचार खर्च और बिलों को लेकर एक समान प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन प्रतिनिधियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद को सभी आवश्यक उपाय करने और प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. गौरतलब है कि 24 अगस्त की सुबह गोधनी जलशुद्धीकरण केंद्र में रखे क्लोरीन गैस के दो सिलेंडरों में से एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ था. जिला प्रशासन का दावा है कि इस घटना में करीब 59 लोग उपचार करा रहे हैं. हालांकि अस्पतालों में 70 से अधिक मरीजों के इलाज कराए जाने की बात सामने आई है. गैस रिसाव से प्रभावित मरीजों का इलाज



नागपुर के विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है. इनमें मैक्स हॉस्पिटल, स्पर्श हॉस्पिटल, विवेका हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, ऑलराइट हॉस्पिटल और किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पताल शामिल हैं.

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने बयान जारी कर कहा कि प्रभावित मरीजों के चिकित्सा उपचार, विभिन्न जांच, दवाइयों तथा इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च के बिलों का भुगतान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया

अवधि खत्म, अब क्या होगा?

ई-केवाईसी न करनेवाले ग्राहकों को सर्वाधिक खामियाजा सब्सिडी के लाभ का भुगतान पड़ेगा. कनेक्शन तत्काल खारिज नहीं होने पर भी ई-केवाईसी पूर्ण न करने पर संबंधित ग्राहक को सरकार के अनुदान का लाभ मिलने पर अड़चन आ सकती है. वहीं ग्राहकों को सिलेंडर अधिक दाम में खरीदना पड़ सकता है. ई-केवाईसी न होनेवाले ग्राहकों में वृद्ध, ग्रामीण व दुर्गम परिसर के नागरिक, स्थानांतरित परिवार और प्रक्रिया संदर्भ में जानकारी न होनेवाले ग्राहक दिखाई दे रहे हैं. जिससे अंतिम अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रशासन द्वारा ऐसे ग्राहकों की ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिये मार्गदर्शन और अवसर देने की मांग की जा रही है.

ई-केवाईसी करने का आह्वान किया गया था. गडचिरोली जिले में बड़े पैमाने पर ग्रामीण और दुर्गम परिसर होने से ई-केवाईसी न करने वाले ग्राहकों में ग्रामीण

परिसर के ग्राहकों की संख्या अधिक होने की संभावना है. जिससे अंतिम अवधि खत्म होने के बाद भी प्रशासन ने विशेष मुहिम चलाकर शेष ग्राहकों की ई-केवाईसी पूर्ण कराना जरूरी हो गया है.

2 लाख 91 हजार 749 उपभोक्ताओं की प्रक्रिया पूर्ण

संवाददाता । गडचिरोली
घरेलू गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करना बंधनकारक किया गया है. इसके लिए अंतिम अवधि २३ अगस्त थी. जिले के करीब २ लाख ९४ हजार ९६५ घरकुल गैस ग्राहकों में से २ लाख ९१ हजार ७४९ ग्राहकों ने ई-केवाईसी पूर्ण की. लेकिन करीब १८ हजार ग्राहक अब तक ई-केवाईसी से वंचित होने से इन ग्राहकों पर अब अनुदान (सब्सिडी) बंद होने की तलवार लटक रही है. जिले में वर्तमान स्थिति में २२ गैस एजेंसी कार्यरत होकर उनके माध्यम से लाखों परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है. केंद्र



सरकार के निर्देश अनुसार गैस ग्राहकों की पहचान और कनेक्शन की पड़ताल करने के लिये ई-केवाईसी प्रक्रिया चलाई गयी.

ई-केवाईसी पूर्ण करना आवश्यक

घरेलू गैस ग्राहकों को ई-केवाईसी पूर्ण करना आवश्यक है. ई-केवाईसी न करनेवाले ग्राहकों को सरकार नियम अनुसार अनुदान के लाभ पर परिणाम हो सकता है. ग्राहक अपने संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति जांच करें. **- मनोज डहारे**
जिला आपूर्ति अधिकारी

इसके लिये ग्राहकों को निर्धारित अवधि में

शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन पर चर्चा

संवाददाता । वरोरा
गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद के त्यौहार के मद्देनजर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा दोनों पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से सिद्धिविनायक हॉल, वरोरा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण तथा विभिन्न जुलूसों के मार्गों के नियोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभालने के बाद आयुष नोपानी ने जिले की पहली शांति समिति की बैठक वरोरा में ली. उन्होंने गणेश मंडलों को मंडप में अग्निशमन यंत्र एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए. साथ ही मंडल के



स्वयंसेवकों से प्रतिमा एवं मंडप में रखी अन्य सामग्री की समय-समय पर निगरानी करने का आह्वान किया. बैठक में गणेश प्रतिमा के आगमन एवं विसर्जन तथा ईद-ए-मिलाद के जुलूस के मार्गों का उचित नियोजन करने, यातायात व्यवस्था

सुचारु रखने और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया. प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए दोनों पर्व आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की

दो वेकोलि अफसरों को ५ - ५ साल सश्रम कैद

नागपुर: सीबीआई विशेष अदालत ने वेक्टर कॉलोफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में हुए एक पुराने फर्जीवाड़े के मामले में दो आरोपी अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के मुख्य आरोपी (ए-1) की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ मामला पहले ही समाप्त हो चुका था. मामले के अनुसार डब्ल्यूसीएल के तत्कालीन अधिकारियों और निजी ठेकेदारों ने अपराधिक षड्यंत्र रचकर बोरवेल खुदाई के काम में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी.

वर्क ऑर्डर के तय मानकों और नियमों को ताक पर रखकर घटिया स्तर का काम किया गया, लेकिन कागजों पर काम को शत-प्रतिशत सही दर्शाकर बिल पास करावा लिए गए. इस फर्जीवाड़े से डब्ल्यूसीएल को 4, 10, 250 रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ था और आरोपियों ने अनुचित लाभ कमाया था. ऐसे में आरोपी क्रमांक-दो यानी संजय भिवगड़े को आईपीसी धारा 420 सहपठित

34 व 120-बी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास), आईपीसी धारा 477-ए सहपठित 34 व 120-बी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित 13(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 6 माह का साधारण कारावास), आईपीसी धारा 120-बी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास) की सजा सुनाई गई है. जबकि, आरोपी क्र. 3 यानी धर्नंजन रामलखन सिंह को आईपीसी धारा 420 सहपठित 34 व 120-बी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास) एवं आईपीसी धारा 120-बी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 जुर्माना रुपए की सजा सुनाई गई.

मरीजों के इलाज का खर्च उठाएंगी राज्य सरकार

गोधनी गैस रिसाव प्रकरण में मरीजों से पैसे नहीं लेने के दिए निर्देश

संवाददाता । नागपुर
गोधनी ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जलशुद्धीकरण केंद्र में क्लोरीन गैस रिसाव प्रकरण में प्रभावित मरीजों के इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार की ओर से वहन किया जाएगा. गैस रिसाव के बाद विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के उपचार खर्च और बिलों को लेकर एक समान प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन प्रतिनिधियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद को सभी आवश्यक उपाय करने और प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.

गौरतलब है कि 24 अगस्त की सुबह गोधनी जलशुद्धीकरण केंद्र में रखे क्लोरीन गैस के दो सिलेंडरों में से एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ था. जिला प्रशासन का दावा है कि इस घटना में करीब 59 लोग उपचार करा रहे हैं. हालांकि अस्पतालों में 70 से अधिक मरीजों के इलाज कराए जाने की बात सामने आई है.

गैस रिसाव से प्रभावित मरीजों का इलाज



नागपुर के विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है. इनमें मैक्स हॉस्पिटल, स्पर्श हॉस्पिटल, विवेका हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, ऑलराइट हॉस्पिटल और किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पताल शामिल हैं.

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने बयान जारी कर कहा कि प्रभावित मरीजों के चिकित्सा उपचार, विभिन्न जांच, दवाइयों तथा इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च के बिलों का भुगतान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया

वरिष्ठ शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य : शिंदे

चंद्रपुर: चंद्रपुर जिला सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने बैंक के मुख्यालय का सद्भावना दौरा कर चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी (सीडीसीसी बैंक) बैंक के अध्यक्ष रवींद्र शिंदे से मुलाकात की. इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों ने अपनी समस्याओं, आवश्यक बैंकिंग सेवाओं, रियायतों और विभिन्न सुविधाओं से संबंधित मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा.

इन मांगों में मुख्य रूप से वरिष्ठ खाताधारकों के लिए मुफ्त चेक बुक, मुफ्त आरटीजीएस और एनईएफटी तथा मुफ्त एसएमएस अलर्ट सुविधा की मांग की गई है. मुफ्त एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने, वार्षिक रखरखाव शुल्क में छूट देने और मुफ्त एटीएम लेनदेन की सीमा बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया. इसके साथ ही कहा गया है कि 'प्राकृतिक बीमा योजना' लागू की जानी चाहिए, पेंशनभोगी ऋण योजना में ब्याज दर कम करके ऋण सीमा बढ़ाई जानी चाहिए तथा स्वर्ण ऋण योजना में ब्याज दरों में ढील दी जानी चाहिए. बैठक में इन प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैंक के अध्यक्ष रवींद्र शिंदे ने कहा कि शिक्षकों ने भावी पीढ़ी के निर्माण में अपने जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष समर्पित किए हैं. सेवानिवृत्ति के बाद के समय में उन्होंने जिला मध्यवर्ती बैंक पर जो भरोसा दिखाया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है.

थानेदार की कथित भूमिका की जांच करें

वर्धा: देवली पुलिस थाने में कार्यरत एक पुलिसकर्मी के खिलाफ हाल में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की पृष्ठभूमि में अब देवली पुलिस थाने के थानेदार संदीप कापड़े की कथित भूमिका की जांच करने की मांग की गई है. इस संबंध में मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंगेश चोरे (पाटिल) ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित शिकायत कर संबंधित पुलिसकर्मी की स्वतंत्र रूप से जांच करने की मांग की है. साथ ही कहा है कि देवली पुलिस थाने के संबंधित कर्मचारी के खिलाफ रिश्तत मामले में कार्रवाई के बाद इस पूरे प्रकरण की गहन जांच आवश्यक है. मामले में क्या संबंधित कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव या निर्देश पर रिश्तत स्वीकार की थी? क्या पुलिस थाने में ऐसी वसूली की कोई व्यवस्था चल रही थी? इसकी भी जांच करने की मांग

की गई है. शिकायत में थानेदार संदीप कापड़े के कथित आर्थिक लेन-देन और संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गई है. साथ ही मांग की गई है कि देवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की कराई जाए. ताकि पता चल सके कि आय से अधिक संपत्ति कितनी और किस किस के पास है. प्रदेश अध्यक्ष चोरे (पाटिल) ने मांग की इन आरोपों की निष्पक्ष वास्तविकता सामने लाई जा सके. यदि किसी प्रकार के दौषपाया जाता है तो लोगों के खिलाफ कानूनी की जाए. शिकायत में लग आरोपों की सत्यता आधि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. उल्लेखनीय है कि देवली में पुलिस कर्मी और एक उसके साथी को रिश्तत स्वीकारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसलिए यह जांच भी जरूरी है कि एक सामान्य कर्मी आखिर किसके आदेश पर रिश्तत की मांग करता था.

बीमारी । अस्पतालों में भीड़ बढ़ी, चिकित्सकीय सलाह पर ही लें दवा

नागपुर: वातावरण में बदलाव के साथ ही वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है. शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों में दोनों बीमारियों के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं. इसके साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही डेंगू सदृश्य बीमारी भी बढ़ी है. लेकिन जांच कराने पर उसकी पुष्टि नहीं हो रही. पर चिकित्सक लक्षण के आधार पर मरीजों को दवाइयां दे रहे हैं.

मनपा अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, मेयो व मेडिकल कॉलेज सहित निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है. सुबह से ही अस्पताल खुलने के पहले ही मरीज कतार में नजर आ रहे हैं. अस्पतालों में आनेवाले मरीजों में से 50 फीसदी तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी से जुड़े हुए हैं. जबकि टाइफाइड के मरीज लगभग 30 फीसदी के करीब बताए जा रहे हैं. डेंगू व अन्य संक्रामक रोगों के मरीज भी इलाज कराने के लिए



अस्पतालों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. चिकित्सकों ने पर्याप्त नींद लेने और भरपूर भोजन करते हुए इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाए रखने की सलाह दी है. इससे बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है.

मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, डेंगू फैलने का डर

इसलिए मनपा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिकों को सलाह दी गई है कि डेंगू की रोकथाम के लिए घरों और आसपास पानी जमा न होने देने तथा

अस्वच्छ खाने व दूषित पानी के सेवन से बचें

चिकित्सकों के अनुसार, मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, बारिश के बाद बढ़ी नमी और दूषित पानी व भोजन के कारण बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों में तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, कमजोरी, गले में खराश और सफ-सफाई नही, जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. कई मरीजों में बुखार के साथ शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान की शिकायत भी सामने आ रही है. चिकित्सकों का कहना है कि दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन टाइफाइड का प्रमुख कारण है. ऐसे में लोगों को बाहर का खुला भोजन खाने से बचने और केवल स्वच्छ एवं उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है.

हर बुखार को सामान्य वायरल मानकर खुद से दवा लेना उचित नहीं है. यदि बुखार लगातार बना रहे, तेज सिरदर्द, उल्टी, शरीर पर लाल चकत्ते, अत्यधिक कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. साफ-सफाई बनाए रखने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, पौष्टिक भोजन लेने और आसपास स्वच्छता रखने की अपील की है. साथ ही बुखार के लक्षण दिखने पर समय पर जांच कराने की सलाह दी गई है. पर्याप्त नींद और भरपूर खाना बीमारी से लड़ने में मदद करता है.

- डॉ. अविनाश गावंडे, अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज

मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है.

जिलाधिकारी ने ली लोकल लेवल समिति की समीक्षा बैठक

पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाएं लाभ

संवाददाता । गडचिरोली जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभप्राप्त हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाया जाए. लंबित यूडीआईडी पंजीयन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए. शेष तहसील क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग जांच शिविर आयोजित किए जाएं. साथ ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं द्वारा दिव्यांग कल्याण के लिए आरक्षित पांच प्रतिशत निधि का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दिए. जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी पंडा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय दिव्यांग कल्याण समिति तथा नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लोकल लेवल समिति

की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में यूडीआईडी कार्ड, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, पांच प्रतिशत दिव्यांग कल्याण निधि, विवाह प्रोत्साहन योजना, विशेष दिव्यांग जांच शिविर तथा संजय गांधी निराधार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई. दिव्यांग व्यक्तियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यूडीआईडी महत्वपूर्ण है. इसलिए लंबित पंजीयन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश जिलाधिकारी पंडा ने जिला शल्य चिकित्सक को दिए. कोई भी पात्र दिव्यांग व्यक्ति यूडीआईडी के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने



विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पांच हितग्राहियों को लाभ

दिव्यांग अव्यंग तथा दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की भी बैठक में समीक्षा की गई. पिछले तीन महीनों में इस योजना के तहत पांच हितग्राहियों को लाभ दिया गया है, तथा उपलब्ध निधि का शत-प्रतिशत उपयोग किया गया है. इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया

दिए, भामरागढ़, सिरोंचा और चामोर्शी पंचायत समिति क्षेत्रों में आयोजित विशेष

दिव्यांग जांच शिविरों में 383 नए दिव्यांग व्यक्ति यूडीआईडी के लिए पात्र पाए गए हैं. दुर्गम क्षेत्रों के दिव्यांग व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर जांच और पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसी तर्ज पर जिले की शेष सभी तहसीलों में भी तत्काल विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. बैठक में निवासी उपजिलाधिकारी आशिष वानखेडे, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय के सहायक आयुक्त एवं समिति के सदस्य सचिव चेतन हिवज, जिला शल्य चिकित्सक डा. वर्षा लहाडे, समिति के गैर-सरकारी सदस्य पंकज भागडकर, संगीता तुमडे समेत संबंधित विभागों के विभागीय प्रमुख और अधिकारी उपस्थित थे.

खदान में ब्लास्टिंग से घरों को नुकसान



संवाददाता । वरोरा

वरोरा तालुका स्थित ऐकोणा कोयला खदान में बड़े पैमाने पर किए जा रहे तीव्र ब्लास्टिंग के कारण वरोरा शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के घरों को नुकसान होने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों एवं विधायक को ज्ञापन सौंपा. ब्लास्टिंग की तीव्रता कम करने के साथ ही प्रभावित नागरिकों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। मांगें पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है. ज्ञापन में कहा गया है कि ऐकोणा कोयला खदान परिसर में बड़े पैमाने पर एवं तीव्र स्वरूप में ब्लास्टिंग की जा रही है.

इसके कारण वरोरा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज कंपन महसूस हो रहा है. कंपन के चलते अनेक नागरिकों के मकानों की दीवारों, छतों एवं अन्य

निर्माण कार्यों में दरारें पड़ रही हैं. साथ ही घरों में रखे विभिन्न सामान को भी नुकसान पहुंचने की शिकायत है. इससे नागरिकों में भय एवं चिंता का वातावरण बना हुआ है.

नागरिकों ने इस स्थिति के लिए संबंधित कोयला खदान प्रबंधन एवं प्रबंधक को जिम्मेदार

ठहराते हुए नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि

इस गंभीर समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर नागरिकों को न्याय दिया जाए. यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो सभी प्रभावित नागरिकों को साथ लेकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान किसी प्रकार की अग्रिय घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई.

ब्लास्टिंग कम करने और प्रभावित नागरिकों को मुआवजा की मांग

लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप



संवाददाता । गडचिरोली शहर के मुख्य इंदिरा गांधी चौक में मंगलवार को सुबह एक लावारिस सूटकेस मिलने से परिसर के नागरिकों में कुछ देर तक खलबली मच गयी थी. सुबह करीब 5.30 से पौने 6 बजे के बीच चंद्रपुर मार्ग से आरमोरी की ओर जा रही एक ट्रैवल्स बस से पांच-छह यात्री इंदिरा गांधी चौक पर उतरे थे.

इसके कुछ ही समय बाद उसी परिसर में एक सूटकेस लावारिस अवस्था में मिला. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रैवल्स से उतरने के बाद पांच-छह यात्रियों ने चौक स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पिया. उन्होंने चाय दुकान संचालक को बताया था

कि, वह आगे पखांजूर जाने वाले हैं. इसी दौरान ट्रैवल्स से उतरते समय कंडक्टर ने एक सूटकेस नीचे उतारा. यात्रियों ने यह कहते हुए बैग अपना होने से इनकार कर दिया कि, वह उनका नहीं है. इसके बावजूद कंडक्टर कथित तौर पर सूटकेस वहीं छोड़कर ट्रैवल्स लेकर आगे चला गया. व्यस्त चौक पर लावारिस सूटकेस मिलने से नागरिकों में कुछ समय के लिए भय का माहौल बन गया. बैग में क्या है, वह किसका है और उसे चौक पर क्यों छोड़ा गया, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मों मौके पर पहुंचकर सूटकेस की जांच की.

आरबीएसके का प्रस्तावित वर्गीकरण तत्काल रद्द करें



संवाददाता / कुरखेड़ा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य अधिकारी और तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन वर्गीकृत करने के प्रस्तावित सरकार निर्णय को तत्काल रद्द करने की मांग आरबीएसके अधिकारी एवं कर्मचारियों ने की है. इस संबंध में जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला शल्यचिकित्सक को ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यानकर्षण कराया गया. राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी. इसके बाद वर्ष 2013 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की स्वास्थ्य जांच, बीमारियों का समय पर पता

लगाना, उपचार के लिए संदर्भीय सेवा तथा आवश्यक फॉलोअप किया जा रहा है. आरबीएसके की टीमें केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं हैं. जांच के दौरान किसी बच्चे में बीमारी अथवा विशेष उपचार की आवश्यकता पाए जाने पर उसे ग्रामीण अस्पताल, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा शासन के साथ अनुबंधित अस्पतालों में आगे की जांच और उपचार के लिए रेफर किया जाता है. इसके बाद संबंधित बच्चे को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार फॉलोअप भी किया जाता है. आरबीएसके की स्वतंत्र कार्यप्रणाली के कारण स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य जांच, संदर्भीय सेवा, अस्पतालों के साथ समन्वय तथा उपचार के फॉलोअप में निरंतरता बनी रहती है.

1.09 करोड़ रुपये का माल जब्त, 157 आरोपी अरेस्ट

वर्धा : जिले में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने 20 से 21 अगस्त के दौरान नियोजित तरीके से 'वॉशआउट' मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई की. अभियान के दौरान अवैध देशी-विदेशी शराब बिक्री के 37 तथा गांवों की शराब बिक्री के 111, कुल 148 मामले दर्ज किए गए. कार्रवाई में 157 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपये का शराब एवं संबंधित माल जब्त किया गया. पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने अभियान की योजना तैयार की थी. पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिले में अवैध शराब बनाने वाले बड़े पैमाने पर शराब तैयार कर उसका भंडारण कर रहे हैं. इसके आधार पर शहर से सटे क्षेत्रों, गांवों के बाहर, जंगल एवं दुर्गम इलाकों में स्थित अवैध शराब भट्टियों पर निगरानी रखी गई.

पुलगांव-शिरपुर मार्ग की मरम्मत करें नागरिकों ने दी रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता / पुलगांव

शिरपुर जाने वाले तथा आगे महामार्ग से जुड़ने वाले मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सड़क की खराब हालत के कारण नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मार्ग से जुड़े अनेक गांवों के नागरिकों को खेती-किसानी तथा घरेलू उपयोग की सामग्री खरीदने है. यही बोके लिए जलगांव आना



पड़ताल पुलगांव ले जाते समय भी खराब सड़क के कारण परेशानी

प्रशासन के संज्ञान में सड़क की समस्या लाने के बावजूद अब तक मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति किए जाने का आरोप लगाया गया है. इससे नाराज नागरिकों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है. पुलगांव-शिरपुर रोड कृति समिति की ओर से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क की जल्द से जल्द दुरुस्ती करने की मांग की गई है.

अहेरी में बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को गति दें: पंडा

विकास कार्यों का निरीक्षण कर जिलाधीश ने अधिकारियों से ली जानकारी

संवाददाता / गडचिरोली अहेरी तहसील में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दिए. अहेरी तहसील के दिनभर के दौरे के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं, राजस्व प्रशासन, जल संरक्षण, आदिवासी विकास विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं

तथा विभिन्न बुनियादी विकास कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली. इसके साथ ही रात में 'सेवा संपुक्त अभियान' के तहत चयनित ताटीगुडम गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया. इस अवसर पर सहायक जिलाधिकारी अजय डोके, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत पिसाल, तहसीलदार बालाजी सोमवंशी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी नारायण इंगले, प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रमेश पेरगू समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.



फायर ऑडिट की विस्तृत समीक्षा: जिलाधिकारी पंडा ने अहेरी स्थित महिला एवं बाल अस्पताल तथा उपजिला

की. उन्होंने डाक्टर, नर्स तथा अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. अस्पताल में आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन डाक्टरों के कुछ पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई. रिक्त डाक्टरों के पद भरने के लिए वरिष्ठ स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे, ऐसी बात उन्होंने कही. अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर ऑडिट किया गया है या नहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी ने विशेष जानकारी ली. साथ ही विद्युत उपकरणों एवं

विद्युत व्यवस्था के सुरक्षा ऑडिट की वर्तमान स्थिति तथा उसके अनुसार आवश्यक अनुपालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जानकारी प्राप्त की. रक्त संग्रहण यूनिट जल्द शुरू करें अहेरी अस्पताल के रक्त संग्रहण यूनिट को प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है. इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जिलाधिकारी ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. यूनिट शुरू करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी समस्या है या नहीं, इसकी जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए.

मुख्याधिकारी की विभागीय जांच करें



14 पार्षदों का नगर विकास मंत्रालय में ज्ञापन

संवाददाता / देवली

देवली नगर परिषद में इन दिनों सत्तापक्ष के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. नगर परिषद की मुख्याधिकारी (पह) नेहा आकोडे के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 14 नगरसेवकों ने नगर विकास मंत्रालय, सचिव एवं आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त, नागपुर को ज्ञापन सौंपकर उनकी विभागीय जांच कराने की मांग की है. 14 नगरसेवकों के गुट का आरोप है कि उनकी शिकायतों और जनहित से जुड़े कार्यों पर मुख्याधिकारी द्वारा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता तथा मामलों का निपटारा बेहद धीमी गति से किया जाता है.

नगरसेवकों का दावा है कि आमसभा में बहुमत से नमो उद्यान का प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद उसमें कानूनी त्रुटियां

दर्शाकर तथा वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर गलत जानकारी देकर प्रस्ताव को निरस्त कराया गया. ज्ञापन में मुख्याधिकारी पर अतिक्रमण संबंधी शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण धारकों को कथित रूप से अभय देने, लेआउट धारकों को दी गई मंजूरीयों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने तथा मुख्यालय में निवास के लिए नियमानुसार मिलने वाले मकान किराया एवं अन्य भत्ते लेने के बावजूद मुख्यालय में निवास नहीं करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. ज्ञापन पर भाजपा गुटनेता उमेश कामडी, अशोक राऊत, कांग्रेस गुटनेता अनिल कारोटेकर सहित मनीषा लोखंडे, विभवरी बजाईट, विश्वजीता पोटेदुखे, विजय गोमासे, शुभांगी कुर्जेकर, कुर्जेकर, सुरेखा कारोटेकर, ललिता धुर्वे, मिलिंद देशमुख, स्वप्निल कामडी, ज्योति खाडे

आमगांव-चांदसूरज सड़क बदहाल

■ नागरिकों ने की स्थायी निर्माण कार्य की मांग

■ मंजूरी के बाद भी काम नहीं हुआ शुरु

संवाददाता / गोंदिया
आमगांव-चांदसूरज तथा सालेकसा-आमगांव मार्ग की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ विद्यार्थियों एवं पैदल राहगीरों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नागरिकों के अनुसार, इस मार्ग पर गड्ढों के कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. कई बार वाहन फिसलने से चालक घायल हुए हैं. ऐसे में सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग जोर पकड़ रही है. नागरिकों का सवाल है कि सड़क के काम को मंजूरी मिलने की बदहाल



आमगांव-चांदसूरज सड़क मार्ग जानकारी बार-बार दी जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष काम कब शुरू होगा, यह स्पष्ट नहीं है. क्षेत्रवासियों ने सांसद और विधायक से इस मामले में ठोस पहल कर आवश्यक निधि उपलब्ध कराने तथा काम जल्द शुरू कराने

की मांग की है. सालेकसा-आमगांव मार्ग पर सातरीटोला स्थित पुल की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है.

नागरिकों के अनुसार, पुल की खराब हालत के कारण बसों और बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. बसों को

वैकल्पिक मार्ग से चलाए जाने के कारण यात्रियों का समय और खर्च बढ़ रहा है. बस सेवा प्रभावित होने से सवारी वाहन, टैक्सी और टेम्पो पर निर्भरता बढ़ी है. नागरिकों ने किराए में बुद्धि और छोटे वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाए जाने की शिकायत भी की है.

कुछ वाहनों में 12 से 15 यात्रियों को बैठाने का आरोप लगाते हुए परिवहन विभाग से जांच और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की गई है. नागरिकों का कहना है कि गड्ढों में डामर या गिट्टी डालकर बार-बार अस्थायी मरम्मत की जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर खराब हो जाती है. इसलिए पूरे मार्ग का गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण और साकरीटोला पुल की आवश्यकता अनुसार स्थायी मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण किया जाए है. क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट कहा है कि अब सिर्फ आशासन नहीं, बल्कि सड़क और पुल के काम की तय समयसीमा और प्रत्यक्ष शुरुआत की जानी चाहिए.

संवाददाता / गोंदिया

सड़क अर्जुनी तहसील में जारी अवैध रेत उत्खनन और बिना अनुमति रेत परिवहन के खिलाफ राजस्व विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की है। बुधवार, 26 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मिली सूचना के आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने रेंगेपार से कन्हारपायली मार्ग पर रेत से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर को जब्त कर तहसील कार्यालय सड़क अर्जुनी में जमा कराया गया। कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों में हड़कंप मचा है।

यह कार्रवाई तहसीलदार इंद्रायणी गोमासे के नेतृत्व में की गई। ग्राम राजस्व अधिकारी लीलाधर कापगते, हनुमंत आंबेकर, उमेश रहांगडाले, हर्ष कुमार उईके और जागेश्वर प्रधान



की टीम ने रेत से भरे ट्रैक्टर को रोककर जांच की। जांच के दौरान रेत परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं पाए जाने पर वाहन को कब्जे में लिया गया। राजस्व विभाग के अनुसार जब्त ट्रैक्टर डोंगरगांव निवासी नरेश महादेव शेंडे के नाम दर्ज है।

ट्रैक्टर में रेत भरकर कन्हारपायली की दिशा में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान राजस्व विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया।

सड़क अर्जुनी तहसील क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और बिना अनुमति परिवहन पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। नदी पार से बिना अनुमति रेत निकालकर उसका परिवहन करने वालों पर प्रशासन की नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का संदेश इस कार्रवाई से दिया गया है।

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर तिरोड़ा में भव्य रैली का स्वागत

संवाददाता / तिरोड़ा
जश्ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर तिरोड़ा शहर में निकाली गई भव्य रैली का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से गोंदिया जिलाध्यक्ष रविकांत खुशाल बोपचे ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने रैली में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात कर संवाद किया तथा

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। रैली के दौरान शहर में सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और एकता का वातावरण देखने को मिला। रविकांत बोपचे ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने दुनिया को शांति, प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। आज के दौर में उनके विचार समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में शांति, सद्भाव, एकता और परस्पर प्रेम को मजबूत किया

जिलाध्यक्ष रविकांत बोपचे ने मुस्लिम समाज के लोगों से किया संवाद, दीं शुभकामनाएं



जाना चाहिए। उन्होंने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर तिरोड़ा शहर सहित पूरे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सामाजिक एकता कायम रहने की कामना की।

इस अवसर पर जिला महासचिव नासिर घाणीवाला, शहर अध्यक्ष विजय बुद्धे, आदिवासी सेल के तहसील अध्यक्ष श्री संजय धुर्वे, सामाजिक न्याय तहसील अध्यक्ष युवराज

शहारे, महिला तहसील अध्यक्ष सौ. मंदाताई टेंभरे, शहर कार्याध्यक्ष रजनीकांत शारणागत, मंगेश गेडाम, चरणदास भाजीपाले, किशोर कुंभरे, युवा शहर अध्यक्ष टिपू सैय्यद, जितेंद्र बिसेन, डीलेन्द्र बिसेन, उमाशंकर पटेल, यंद्रराज वासनिक, सलीम मरसकोले, प्रकाश करिहार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

संकटग्रस्त परिवार की मदद को आगे आए जिप सदस्य किरण कुमार पारधी

घर में लगी भीषण आग से पूरा संसार जलकर खाक

संवाददाता / तिरोड़ा
तहसील के पाटीलटोला (घोगरा) क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9.15 बजे गम्हालीलाबाई प्रकाश कटनकर और उनके पुत्र अमोल प्रकाश कटनकर के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और परिवार का पूरा संसार जलकर खाक हो गया। आग में अनाज, कपड़े, घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, मूल्यपूर्ण दस्तावेज तथा करीब 50 हजार रुपये नकद जलकर नष्ट हो गए। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले इस परिवार पर अचानक संकटों का पहार टूट पड़ा।

घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य किरण कुमार पारधी ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तहसीलदार नारायणजी ठाकरे, दर्यावजी रिनाईत, सरपंच तुरेन नागपुरे सहित राजस्व विभाग की टीम, तलाठी, कोतवाल तथा महावितरण के कनिष्ठ अभियंता मेश्राम और उनकी टीम को मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने



घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पंचनामा किया। घर पूरी तरह जल जाने से परिवार के सामने भोजन, निवास और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने राशन दुकान से तत्काल अनाज उपलब्ध कराने तथा शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं,

सरकारी सहायता मिलने तक परिवार को तत्काल राहत मिल सके, इसके लिए जिप सदस्य किरण कुमार पारधी ने अपने स्तर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही परिवार को अस्थायी निवास उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी नवनिर्मित भवन में रहने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।

इस अवसर पर सरपंच प्रीतिबाई भांडारकर, पप्पू भांडारकर, अशोक भांडारकर, अरुणजी खरोदे, ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोदजी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, पुलिस पाटिल, तलाठी, महावितरण के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जिप सदस्य किरण कुमार पारधी ने कहा, 'संकटग्रस्त परिवार को केवल आश्वासन देना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराना और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना ही जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता, खाद्यान्न और निवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा।'

छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन महाडीबीटी 2.0 प्रणाली पर प्रस्तुत करने का आह्वान

संवाददाता / गोंदिया
सामाजिक-न्याय विशेष सहायता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया महाडीबीटी 2.0 (MahaDBT 2.0) इस नई प्रणाली पर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए शुरू कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने अपने वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष के छात्रवृत्ति आवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन विद्यार्थियों को भी अपने आवेदन निर्धारित समय सीमा तक प्रस्तुत करने की अपील की गई है। महाडीबीटी 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाने वाली योजनाएं : भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी शिक्षा व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। राजर्षी छत्रपति शाहू महाराज गुणवत्ता छात्रवृत्ति। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से

संबद्ध छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को निर्वह भत्ता। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पीपीपी (PPP) योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर, तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में केंद्रीय ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 'व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति' योजना।

विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्य : सभी विद्यार्थियों के लिए महाआईडी (Maha ID) नए सिर से बनाना अनिवार्य रहेगा। इसलिए पिछले पोर्टल के यूजर आईडी/पासवर्ड की अब आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को अपने आधार क्रमांक का उपयोग करके नया महाआईडी बनाना चाहिए। आधार पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी (पता, मोबाइल, ई-मेल और बैंक खाता) सही व अद्यतन रखनी चाहिए। आवश्यक

सभी दस्तावेज (जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक अंकपत्र) स्पष्ट PDF स्वरूप में अपलोड करने चाहिए। नए (Fresh) और नवीनीकरण (Renewal) दोनों आवेदनों के लिए नए महाआईडी/आधार लॉगिन करना आवश्यक है। नवीनीकरण के विद्यार्थियों को लॉगिन के बाद 'मेरा आवेदन नवीनीकरण करना है' यह विशिष्ट टैब चुनना चाहिए। भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदकों से संबंधित महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में शिक्षण शुल्क नहीं लेता है, इसलिए केंद्र हिस्सा विद्यार्थियों के खाते में प्राप्त होते ही सात दिनों के भीतर महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क की राशि जमा करनी चाहिए।

महाविद्यालय द्वारा किए जाने वाले

कार्य : महाविद्यालय के लिए अब केवल एक ही लॉगिन- महाविद्यालय के प्राचार्य का (लिपिक लॉगिन पूरी तरह बंद)। जिन महाविद्यालयों को अभी भी लॉगिन पासवर्ड के संबंध में कोई कठिनाई हो, वे अपने संबंधित शैक्षणिक विभाग से संपर्क करें। प्रोफाइल व शुल्क निर्धारण : महाविद्यालय को पिछले यूजर आईडी व नए डिफॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल की जांच कर पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क (Fee Structure) को तत्काल अद्यतन करना चाहिए। पात्र विद्यार्थियों के आवेदन किसी भी परिस्थिति में लंबित (Pending) न रहें, पात्र आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में मंजूर कर आगे भेजने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्यों की होगी।

महाडीबीटी पोर्टल पर आवेदन

कैसे भरें : महाडीबीटी पोर्टल के लिए

https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/ इस वेबसाइट का उपयोग करें। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, उक्त पोर्टल पर लिंक के लॉगिन टैब में 'नागरिकों के लिए लॉगिन' या 'महाआईडी के बिना प्रवेश करें' इस विकल्प का उपयोग करके आधार बेस लॉगिन करने के लिए विद्यार्थियों को यह विकल्प चुनना चाहिए। इसके बाद अपनी ओटीपी अद्यतन करने के बाद ही लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद पात्र योजना का विवरण अद्यतन करने के पश्चात आपको लागू होने वाली विभागवार योजनाओं की सूची उपलब्ध होगी। जिस योजना के लिए आपको आवेदन करना है, उस योजना के नाम के सामने 'देखें' पर क्लिक करने पर योजना की सभी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद आपके द्वारा चुनी गई योजना के

सामने 'जल्द टैब पर क्लिक करके विद्यार्थियों को (उदा. व्यक्तिगत जानकारी, वर्तमान व पिछले शैक्षणिक विवरण, योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज) इस प्रकार विवरण अद्यतन करके आवेदन ऑनलाइन सबमिट करना चाहिए और प्रिंट या पीडीएफ में सुरक्षित रख लेना चाहिए। आवश्यक सभी जानकारी उदा. जाति, वर्ग, महाराष्ट्र के निवासी, दिव्यांगता, पारिवारिक आय आदि पोर्टल में सवधानीपूर्वक भरनी चाहिए।

महाविद्यालय के लिए सूचना : महाडीबीटी 2.0 पोर्टल पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने व आवेदन करने में सहायता करें। अनुसूचित जाति के किसी भी पात्र विद्यार्थी से प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क की राशि न लें। अपने महाविद्यालय का नाम,

महाविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों के नाम, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता, महाविद्यालय व पाठ्यक्रम की मान्यता के विभिन्न आदेश, शुल्क संरचना आदि जानकारी पोर्टल पर मैप करने के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्था (उदा संचालनालय/विश्वविद्यालय/ परिषद/FRA) से मैप करवाने की कार्यवाही करें।

अधिक जानकारी के लिए 022-49150800/18001025311 अथवा helpdesk@mahadbt.gov.in इस ई-मेल आईडी पर संपर्क करें। तकनीकी अथवा प्रशासनिक शिकायतों के लिए अपने लॉगिन से स्क्रीनशॉट सहित शिकायत दर्ज करने हेतु Suport Desk का उपयोग करें। ऐसा समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भीयर ने सूचित किया है।